भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1213
उत्तर देने की तारीख 11.12.2023

कलाकार पेंशन योजना हेतु तय मानदंड

1213. **श्री राहुल रमेश शेवाले :**
श्री चंद्र शेखर साहू :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने कलाकारों को पेंशन दी है;
(ख) यदि हां, तो कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी देने और इसे जारी करने हेतु निर्धारित ब्यौरा क्या है और इसके मानदंड क्या हैं;
(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कलाकारों द्वारा संवितरण की मांग/नामित एजेंसी की आवश्यकता पर जारी और वितरित कलाकार पेंशन निधि का राज्य-वार विशेष रूप से महाराष्ट्र के कलाकारों के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि कलाकार पेंशन के संबंध में नामित एजेंसी कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के बाद से कलाकार पेंशन का वितरण नहीं कर पाई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय द्वारा "वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम" नामक स्कीम संचालित की जाती है जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु और 72,000/- रुपये से कम की वार्षिक आय वाले उन वृयोवद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने मंच कलाओं और संस्कृति के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है, परन्तु जो वृद्धावस्था के कारण वित्तीय कठिनाइयों का

सामना कर रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत चयनित कलाकारों से कतिपय अनिवार्य दस्तावेज जैसे कि डिजिटल आयु प्रणपत्र (डीएलसी) और वार्षिक आय प्रमाणपत्र, राज्य की हिस्सेदारी का प्रमाण आदि की प्राप्ति पर उन्हें 6000/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित कलाकारों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(घ): जी, नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ कलाकारों को कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, लाभार्थी द्वारा अनिवार्य आय प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने के लिए एकबारगी छूट के रूप में रियायत दी गई थी और इस स्कीम के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को उनसे प्राप्त डीएलसी के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की गई। वस्तुतः वर्ष 2021-22 में जारी की गई राशि 2020-21 में जारी की गई राशि से अधिक थी जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी सम्मिलित था।

(ङ): इस प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक-I

'कलाकार पेंशन योजना हेतु तय मानदंड' के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता की स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष - 2020-21	वित्तीय वर्ष - 2021-22	वित्तीय वर्ष - 2022-23
		संवितरित राशि	संवितरित राशि	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	5.1	72.29	84.66
2	असम	0.96	0.48	1.57
3	बिहार	-	-	-
4	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	-	-	-
5	गोवा	-	-	-
6	गुजरात	-	-	-
7	हरियाणा	-	0.93	0.56
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
9	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	-	-	-
10	झारखंड	2.28	3.00	3.59
11	कर्नाटक	29.97	59.55	64.32
12	केरल	8.18	24.49	25.3
13	मध्य प्रदेश	2.44	5.04	3.86
14	महाराष्ट्र	106.61	190.49	273.49
15	मणिपुर	3.36	7.84	0.6
16	मेघालय	-	-	-
17	मिजोरम	-	-	-
18	नागालैंड	0.48	0.92	0.12
19	ओडिशा	119.46	276.95	306.77
20	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	-
21	पंजाब	-	-	-
22	राजस्थान	0.07	1.23	0.71
23	तमिलनाडु	0.87	15.49	14.6
24	तेलंगाना	53.2	217.29	268.16
25	त्रिपुरा	0.24	0.92	0.12
26	उत्तर प्रदेश	5.12	13.08	15.46
27	उत्तराखंड	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	5.09	12.31	11.71
	कुल	**343.46**	**902.30**	**1075.6**
	एलआईसी	527.85	639.87	783.58
	कुल योग	**871.31**	**1542.17**	**1859.18**

*****